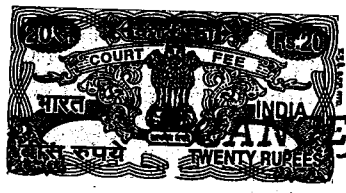

निगरानी 1057-I-15

13 APR 2015 B.O.R.

न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड ग्वालियर कैम्प, सागर (म०प्र०)

हरि नारायण, वल्द मुन्नालाल गुप्ता
निवासी १३।०५ सदर बाजार कैंट सागर —— पुनरीक्षण कर्ता

-: बनाम :-

हरिओम वल्द स्व० जुगलकिशोर केशरवानी
निवासी ८।४८ सदर बाजार, सागर (म०प्र०) —— प्रति पुनरीक्षण-कर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-रा०संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सागर द्वारा रा०प्र० क्रमांक २५-बी।१२१ वर्ष २०१३-१४ नाम पक्षकार हरिओम बनाम हरि नारायण मे पारित आदेश दिनांक ०६।०३।१५ जिसमें प्रति अपीलार्थी का म्याद अधिनियम की धारा ५ का आवेदन स्वीकार करते हुए विलम्ब क्षमा किया है, से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य एवं आधार

१- यहकि, प्रति पुनरीक्षण कर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार, सागर के रा०प्र०क्रमांक ४४१बी-१२१ वर्ष २०१२-१३ में पारित आदेश दिनांक ५।२।०१३ से परिवेदित होकर अपील माननीय अनुविभागीय अधिकारी, सागर के समक्ष दिनांक १।२।१४ को पेश की थी कि मृतक संजय गुप्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की पुनरीक्षण कर्ता ने व्यवहार वाद मे पेश किया था, जिसकी प्रति पुनरीक्षण कर्ता को दी प्रतिलिपि के आधार पर प्रति पुनरीक्षण कर्ता ने तहसीलदार कार्यालय, सागर के रिकार्ड दिखवाया तब प्रथम बार दिनांक ३।१।०४ को उक्त आदेश की जानकारी तथा उसी दिन पुनरीक्षण कर्ता ने सत्य प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सुचना के अधिकार के अन्तर्गत पेश किया तथा दिनांक ३१।०१।१४ को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हुई तब अविलम्ब प्रति पुनरीक्षण कर्ता द्वारा दिनांक १।२।१४ को अपील

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-1057/I/15 .... जिला सागर ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-8-15	प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण में तीन बार आवाज लगवाई गई। पुकार लगाये जाने के बाद भी आवेदक की ओर से न तो स्वयं आवेदक और न ही अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुआ। मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया जो अनावश्यक रूप से अप्रैल 2015 से ग्राह्यता पर सुनवाई हेतु लंबित चला आ रहा था। अवलोकन से पाया गया यह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सागर के आदेश दिनांक 9.3.15 के विरुद्ध प्रचलित होना पाया गया, इस विचाराधीन आदेश में अनु० अधिकारी द्वारा धारा 5 म०प्र० भू-राजस्व संहिता के आवेदन को स्वीकार कर, प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित न कर अंतरिम आदेश पारित करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत करते हुए सुनवाई का अवसर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण 35/B-121/12-13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9.3.15 से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना वर्तमान में उत्पन्न हुई नहीं है। इस स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 9.3.15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्ष अपना पक्ष समर्थन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रखें जहां उन्हें अंतिम तर्क के रूप में अवसर प्राप्त है। इस निर्देश के साथ यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	(हस्ताक्षर) 26/8/15
(हस्ताक्षर) 26/8/15		

[कृ. प. उ.